

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 598/2016

संस्थापित दिनांक 28/09/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

- उमेश सिंह जाटव पुत्र कमलेशजाटव उम्र 18साल  
निवासी— वार्ड क.1 छततरपुरा गोहद जिलाभिण्ड  
म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—354 ग भा0द0स0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री आलोक उपाध्याय ।)  
(आरोपी उमेश द्वारा अधिवक्ता—श्री एस0एस0 श्रीवास्तव ।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 11/11/16 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 28/05/16 को 22:00बजे बच्चा वार्ड अस्पताल गोहद में अभियोक्त्री ललितादेवी की इच्छा के विरुद्ध उसका फोटो खींचकर दृश्यचारिकता कारित करने हेतु भादस की धारा 354 ग के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28/05/16 को अभियोक्त्री ललिता अपने बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उसका इलाज कराने अपने पति के साथ सरकारी अस्पताल गोहद गई थी। बच्चे को बोटल लग रही थी वह बच्चे के पास पलंग पर बैठी थी तभी आरोपी उमेश ने उसका फोटो खींच लिया था मना करने पर भी वह नहीं माना था एवं उल्टा सीधा बोलने लगा था। अभियोक्त्री द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गयाथा। उक्त आवेदनके आधार पर पुलिस थाना गोहद में विरुद्ध अप0क्र0 139/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयाथा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गयाथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय केसमक्ष प्रस्तुत किया था।

11/11/16

प्रतिष्ठा अवस्थी  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला— भिण्ड (म.प्र.)



3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 28/05/16 को 22:00 बजे बच्चा वार्ड अस्पताल गोहद में अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका फोटो खींचकर दृश्यचारिकता कारित की?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री ललिता आ0सा01 एवं अनिल सिंह तोमर आ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी उमेश को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालीन कथन से लगभग 4-5 माह पहले की है उसका एक लडके से मामूली मुंहवाद हुआ जिसकी शिकायत करने वह थाने गई थी। थाने पर थाने वालों ने उससे हस्ताक्षर कराये थे जो प्र0पी01 है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट प्र0पी02 है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी03 है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी ने दिनांक 28/07/16 को उसके मना करने पर भी उसका फोटो खींच लिया था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मना करने पर वह उल्टा सीधा बोलने लगा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपने आवेदन प्र0पी01 रिपोर्ट प्र0पी02 एवं पुलिस कथन प्र0पी03,4 में पुलिस को लिखाई थी एवं व्यक्त किया है कि वह तो अज्ञात लडके विरुद्ध मुंहवाद की रिपोर्ट लिखाने गई थी पुलिस ने आवेदन में क्या लिखा था उसे जानकारी नहीं है उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे।

7. साक्षी अनिल सिंह तोमर आ0सा02 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी उमेश को नहीं जानता है उसके न्यायालीन कथन से लगभग 4-5 माह पहले उसकी पत्नी का किसी लडके से मुंहवाद हो गया था जिसकी रिपोर्ट करने उसकी पत्नी गई थी वह बच्चे के पास रहा था वह थाने नहीं गया था। वह घटना के समय मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी उमेश को जानता है एवं इस सुझाव से इंकार किया है कि उमेश ने उसकी पत्नी की जबरदस्ती फोटो खींचे थे।

8. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री ललिता आ0सा01 ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी उमेश को नहीं जानती है उसका एक लडके से मुंहवाद हो गया था जिसकी शिकायत करने वह

11/11/16  
प्रतिष्ठा अवस्था  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)



थाने गई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी उमेश ने घटना दिनांक को उसके मना करने पर भी उसका फोटो खींचा था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपने आवेदन प्र०पी०१ एवं पुलिस रिपोर्ट प्र०पी०२ में पुलिसको बताई थी। साक्षी अनिल आ०सा०२ ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसकी पत्नी का किसी लड़के से मुंहवाद हो गया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने भी इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी उमेश ने जबरदस्ती उसकी पत्नी को फोटो खींचा था।

10. इस प्रकार अभियोक्त्री ललिता आ०सा०१ एवं अनिल आ०सा०२ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा अभियोक्त्री की फोटो खींचने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी उमेश ने अभियोक्त्री ललिता की इच्छा के विरुद्ध उसका फोटो खींचकर दृश्यचारिकता कारित की थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

11. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 28/05/16 को 22:00 बजे बच्चा वार्ड अस्पताल गोहद में अभियोक्त्री ललितादेवी की इच्छा के विरुद्ध उसका फोटो खींचकर दृश्यचारिकता कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी उमेश को भादस की धारा 354 ग के आरोप से दोषमुक्त करती है।

13. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल अपील अवधि पश्चात उसके स्वामी को वापिस किया जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान - गोहद

दिनांक - 11-11-2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

गोहद जिला